न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2362 सन 2026
CNR. No.UPSP010060512026

सन्नी कर्णवाल पुत्र चमनलाल, निवासी ग्राम चुनहैटी गाडा, थाना रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 216/2026
धारा 305(ए),331(4),317(2),3(5) बी.एन.एस
थाना सदर बाजार, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

05.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **सन्नी कर्णवाल** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 03.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ चमनलाल पुत्र फूल सिंह का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मानवीर सिंह द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि वादी द्वारा अपनी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। दिनांक 24.04.2026 की शाम को जब सारी लेबर चली गयी तो चोरी की घटना हुई। वादी उस दिन लखनउ में था। वादी ने अपनी पूरी बिल्डिंग को चैक किया तो वेसमेन्ट में जो सबसे उपर सरिया पडा हुआ था, वो सारा गायब था तथा बिजली की तार, 13 फावडे, 13 तसले व अन्य चुटर–पुटर बहुत सारा सामान भी गायब था। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वह निर्दोष हैं, उसे इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी नामजद अभियुक्त नही है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुई है, कथित बरामदगी झूठी एवं फर्जी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिय गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी अन्य मुकदमों में जमानत पर है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी दिनांक 03.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करत हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध के अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की बिल्डिंग में घुसकर सरिया, बिजली की तार, 13 फावडे, 13 तसले एवं अन्य सामान चोरी करने तथा आवेदक/अभियुक्त

के कब्जे से चोरी के बिजली की तार, दो स्टील की प्लेट एवं एक हजार रूपये बरामद होने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी के अनुसार दौरान विवेचना पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को गिरफतार किए जाने पर उसके कब्जे से बिजली की तार, दो स्टील की प्लेट एवं एक हजार रूपये बरामद होने पर पूछताछ के दौरान उसके द्वारा इस अपराध की संस्वीकृति किए जाने के आधार पर उसका नाम इस मामले में प्रकाश में आना दर्शित है, परनतु आवेदक/अभियुक्त की कथित प्रकार से गिरफतारी एवं उसके कब्जे से कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना दर्शित नही है। पत्रावली के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्त की वादी से कोई शिनाख्त कराया जाना भी दर्शित नही है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य सभी मुकदमों में आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्वंय को जमानत पर होने का कथन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 03.05.2026 से इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सन्नी कर्णवाल** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध कारित नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–05.06.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891